रोके जाने हेतु पत्रावली ...

9.8.19 पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन उपस्थित। वकील
प्रार्थीगण ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की बहस
सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना
पत्र में अंकित तथ्यों व दस्तावेजों के आधार प्रार्थीगण
के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की दरख्वास्त की।
वकील विपक्षी सं. 1, 2 ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में जवाब
प्रस्तुत नही करने ~~[illegible]~~ के कारण अवसर बन्द किया
गया। तथा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये
जाने की दरख्वास्त की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रकरण संख्या 170/2016 प्रा०वाद

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
किया गया। विवादित आराजियात ग्राम सेवाड़ा पटवार हल्का भीलवाड़ा-द्वितीय तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर प्रार्थीगण एवं बालू, गणेश स० कालुराम गुर्जर 2/3 हिस्सा बाबूलाल स० रामचन्द्र बड़वा 1/3 काबिज देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जिसकी तस्दीक प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल संवत 2049 से 2052 से होती है। इसके पूर्व विवादित आराजियात हजारी, गणेश स० कालुराम 2/3 गुर्जर, बाबूलाल स० रामचन्द्र बड़वा 1/3 काबिज देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जरिये इन्तकाल नं० 244 दिनांक 18-6-1992 के द्वारा विरासत से हजारी स० कालुराम के बजाय गंगानन्द, उदा स० हजारी, म० भोजी बेवा हजारी गुर्जर के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल संवत 2045 से 2048 से होती है। आराजी नं० 196 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कृषि विक्रय से हजारी, गणेश स० कालुराम 2/3 गुर्जर, व बाबूलाल स० रामचन्द्र बड़वा 1/3 काबिज देह के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल संवत 2024 से 2027 से होती है। जिसमें आराजी नं० 196 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कृषि हजारी, बालू, गणेश स० कालुराम गुर्जर के नाम दर्ज थी। बालू स० कालुराम गुर्जर ने आराजी नं० 196 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि का बिलाव बाबूलाल स० रामचन्द्र बड़वा नि० कुवाड़ा को 1/3 हिस्से का बेचान किया। जिसकी ताईद प्रस्तुत विक्रय पत्र की फोटोप्रति से होती है। बालू स० कालुराम गुर्जर ने जरिये नीलिक डीड के द्वारा आराजी नं० 196 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा	

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	हुक्म की तामील में जारी
	मानी प्रार्थीगण के पक्ष भी गयी । जिसकी ताईद प्रस्तुत गीलिज डीड की फोटो प्रति से होती है प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के तहकीकात विवादित कारवाईयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में गजानंद, उदा S/O हजारी, हु० भोली बेवा हजारी, बालू, गणेश S/O कालूराम 2/3 काबिज देह के नाम तथा 1/3 हिस्सा बाबूलाल S/O रामचन्द्र बड़वा के नाम दर्ज रेकार्ड है। विरासत से भोली बेवा हजारी के बजाय गजानंद, उदा S/O हजारी गीता, पुत्री D/O हजारी के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। विरासत से गणेश S/O कालूराम के के बजाय मोहन S/O गणेश, प्रेम, विमला D/O गणेश, हीरा D/O गणेश के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से जमाबंदी की नकल संवत 2069 से 2072 से होती है क्योंकि बालू S/O कालूराम खातेदार काबिज देह ने अपना 1/3 हिस्सा विक्रय पत्र के द्वारा बाबूलाल S/O रामचन्द्र बड़वा को किये जाने के दर्ज हुई। तथा 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण के पक्ष में गीलिज डीड किया गया। फिर भी राजस्व रेकार्ड में नाम बोटेदारान के दर्ज किया। जो गलत है। क्योंकि 2/3 हिस्से में प्रार्थीगण का नाम दर्ज होना चाहिये। किन्तु प्रार्थीगण के नाम के साथ-साथ बालू S/O कालूराम का नाम दर्ज किया गया। जिसे दुरुस्त करा उनके नाम काबिज दर्ज कराना चाहते है। प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई जवाब मय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। इस कारण वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी नं० 1 बालू S/O कालूराम खातेदार का नाम हटाया जाकर प्रार्थीगण के नाम दर्ज की जावे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में सफल रहने से	

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रकरण संख्या 170/2016 प्रा-पत्र

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R. Act का स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं। अतः

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R. Act का स्वीकार किया जाकर ग्राम [illegible] पटवार हलका भीलवाड़ा II तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित ग्राम खाता नं० 196 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा में प्रार्थीगण के 2/3 हिस्से में के विपरीत क्र०1 बालू s/o कालूजी ~~[illegible]~~ का नाम राजस्व रेकार्ड में से हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त तहसीलदार राजस्व रेकार्ड में विपरीत क्र०1 बालू s/o कालूजी का नाम हटाया ~~[illegible]~~ जावे। पत्रावली मुकम्मल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner